राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15( )पंरावि/विधि/न.पा.गठन/2016/336 जयपुर, दिनांकः—28.4.2017

जिला कलेक्टर,
दौसा ।

विषयः—महवा को नगरपालिका चतुर्थ घोषित किये जाने के संबंध में ।

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10(क)( ) गठन/श्रेणी/ डी.एल.बी./2016/4172 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा 14 राजस्व ग्रामो को सम्मिलित करते हुए महवा को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित कर दिया गया है । जिसकी पालना में विभाग द्वारा भी पंचायत समिति, महवा की तीन ग्राम पंचायत, महवा, रामगढ एवं ठेकडा जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र नगरपालिका महवा में सम्मिलित हो जाने के कारण पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किये जाने के संबंध में अधिसूचना क्रमांक 294 दिनांक 12.4.2017 जारी कर दी गई है । जिसका गजट में भी प्रकाशन करवा दिया गया है ।

अतः विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की गजट में प्रकाशित प्रति आपको नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

संलग्नः—अधिसूचना की प्रति ।

उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्न को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
7. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर ।
8. संभागीय आयुक्त, दौसा ।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
10. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय । श्रीमती नीलू जैन
11. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद, दौसा ।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर जिला—दौसा ।
13. सरपच/ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, महवा, रामगढ एवं ठेकडा पं.स.महवा ।

उप शासन सचिव(विधि)

९५
अति/२०१७
२७/४/१७

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 30, गुरुवार, शाके 1939–अप्रेल 20, 2017
Chaitra 30, Thursday, Saka 1939- April 20, 2017

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 12, 2017

संख्या एफ.15( )पंरावि/विधि/न.पा.गठन/2016/294 :–स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना कमांक प.10(क)( ) गठन/श्रेणी/ डी.एल.बी./2016/4172 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा राजस्थान नगर–पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या–18 वर्ष 2009) की धारा–3 सपठित धारा 329 एवं अधिसूचना सं.प.8(ग) ( )नियम/श्रेणी/डीएसजी/12/3825–4090 दिनांक 30.4.2012 के अन्तर्गत निम्नलिखित 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए महवा को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर दिया गया है:–

क्र.सं.	जिला	ग्राम का नाम	नवगठित चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका
1.	दौसा	1.महवा 2.ठेकडा 3.धन्तूरी 4.नयागांव 5.बरीतकी 6.हडिया 7.अलापुर 8.रामगढ 9.शहदपुर 10.पाली 11.अमोलकनगर 12.मोटूका 13.विराना 14.अकबरपुर	नगरपालिका महवा

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम सख्या–13) की धारा–101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दौसा जिले की पंचायत समिति, महवा की ग्राम पंचायत, महवा, रामगढ एवं ठेकडा जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाता है:–

क्र.सं.	प्रभावित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	ग्रामों के नाम जिन्हें नगरपालिका में सम्मिलित किया गया है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	महवा	1.महवा	1. महवा	ग्राम पंचायत, महवा के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किया जाता है।
2.	रामगढ	1.रामगढ 2.शहदपुर	1. रामगढ 2. शहदपुर	ग्राम पंचायत, रामगढ के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किया जाता है।

1	2	3	4	5
3.	ठेकडा	1.ठेकडा 2.धन्तुरी 3.नयागांव 4.बरीतकी 5.विराना	1. ठेकडा 2. धन्तुरी 3. नयागांव 4. बरीतकी 5. विराना	ग्राम पंचायत, ठेकडा के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किया जाता है ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अनुसार ग्राम पंचायत, महवा, रामगढ एवं ठेकडा के निर्वाचित सदस्य अब नगरपालिका, महवा के सदस्य होगें तथा अधिनियम की धारा–101(4) के अनुसार उक्त पंचायत के निधि और पंचायत में निहित अन्य सम्पत्ति और अधिकार स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और पंचायत के दायित्व भी स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व हो जायेंगे ।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

471